

प्रपत्र VI 'क'  
झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार  
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या-208/भू0अ0,

मेदिनीनगर, दिनांक- 18-07-2016

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चौरा, थाना-पाण्डु, थाना सं0-557, अंचल पाण्डु, जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना सगवा मध्यम सिंचाई योजना निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-चौरा, थाना-पाण्डु, थाना सं0-557 अंचल पाण्डु, जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 34.31 एकड़ यानि 13.89 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	35	294	रैयती	टांड III	1.77	कमलेन्दु दूबे वो ब्रजेश कुमार दूबे वो इन्द्रेश कुमार दूबे पिता स्व0-हिदयानन्द दूबे, दशरथ दूबे पिता स्व-बदरी दूबे वो सुदामा दूबे वो लव कुमार दूबे वो शिव कुमार दूबे वो पारस दूबे वो तुलसी दूबे पिता स्व0-चन्द्रीका दूबे वो अरबिन्द दूबे पिता स्व0-त्रियुगी दूबे वो सरयु दूबे वो सचिदानन्द दूबे वो सुनील कुमार दूबे पिता स्व0-अनिरुद्ध दूबे निवासी ग्राम-तिसीबार।	294	311 312	312	299
2.	35	299	तदैव	टांड III	2.05	तदैव	296	303	294	299
3.	35	300	तदैव	टांड II	0.10	तदैव	300	303	299	300
4.	35	311	तदैव	टांड III	3.02	तदैव	294 299	310	312	303
5.	35	271	तदैव	टांड II	0.24	तदैव	270	236	271	236
6.	43	306	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड III	1.07	तदैव	306	308	310	306
7.	43	310	तदैव	टांड III	10.70	तदैव	303 311 312	310	310	303
8.	43	312	तदैव	टांड III	4.25	तदैव	312	310	312	311
9.	12	246	बकास्त रैयती	टांड III	0.08	तदैव	322	245	246	243
10.	12	181/ 322	तदैव	टांड III	0.06	कमलेन्दु दूबे वैगरह	183	246	322	243


11.	38	296	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड़ III	0.05	कमलेन्दु दूबे वैगरह	235	299	296	299
12.	38	236	तदैव	टांड़ III	0.05	पुनीत महतो पिता स्व0-रामवृक्ष महतो	271	235	271	236
13.	43	310	तदैव	टांड़ III	1.70	करेश पासवान वो सुरेश पासवान वो सिताराम पासवान पिता-एतवारु पासवान निवासी ग्राम तिसीबार	303. 311	310	312. 310. 314	303. 305. 306
14.	43	303	तदैव	टांड़ III	1.00	बरती देवी पति-प्रभुनारायण महतो वो रामवृक्ष महतो पिता-लोचन महतो वो राजेन्द्र महतो वो दशरथ महतो पिता-कैलाश महतो वो सुनीता कुवंर पति स्व0-रामबचन महतो वो केशरी कुवंर पति-नथुनी महतो निवासी ग्राम मुरमा खुर्द	299	305. 310	310. 311	303
15.	43	305	तदैव	टांड़ III	1.40	तदैव	303	306	306	304
16.	38	243	तदैव	टांड़ III	0.26	राजनाथ दूबे वो रामलखन दूबे पिता स्व0-रामपूत दूबे निवासी ग्राम तिसीबार	183	239	243. 244	243
17.	35	235	रैयती	टांड़ III	0.06	राजनाथ दूबे वैगरह	236	296	235	236
18.	38	236	बन्दोवस्ती के पश्चात् रैयती	टांड़ III	0.03	तदैव	271	235	271	236
19.	38	238	तदैव	टांड़ III	0.20	रामधनी साव वो रामजतन साव पिता स्व0-कपुरचन्द साव वो रामदास साव पिता-फकीरचन्द साव निवासी ग्राम तिसीबार	239	271	239	238
20.	38	239	तदैव	टांड़ III	0.17	शितलपति देवी पति-रामधनी साव निवासी ग्राम तिसीबार	243	238	239	238. 239
21.	43	303	तदैव	टांड़ III	1.87	रामनिवास दूबे पिता स्व0-गुप्तेश्वर दूबे निवासी ग्राम तिसीबार	299	310	310. 311	303
22.	43	305	तदैव	टांड़ III	0.68	तदैव	303	306	310	303
23.	43	303	तदैव	टांड़ III	1.86	राजेन्द्र दूबे उर्फ जोखन दूबे वो महेन्द्र नाथ दूबे वो देवेन्द्र कुमार दूबे पिता स्व0-रामाधार दूबे निवासी ग्राम तिसीबार	299	301	311	305
24.	43	305	तदैव	टांड़ III	0.75	लक्षुमन रजवार वो भजु रजवार पिता स्व0-बुटन रजवार	303	306	310	304. 305
25.	16	244	बकास्त रैयती	धान III	0.11	राजेश्वर साव वो रामवृक्ष साव वो हरि साव वो बिहारी साव पिता स्व0-दुखन साव निवासी ग्राम तिसीबार	245	243	244	243
26.	22	245	तदैव	धान III	0.15	तदैव	246	244	245	243


यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।


भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी

स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल पाण्डु को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पलामू।  
9-7-16

  
अपर समाहर्ता,  
पलामू।

  
उपायुक्त, पलामू।  
13/07/16